प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 08.03.2026

कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर अवैध हस्ताक्षर का प्रयोग कर जमीन दूसरे के नाम पर हस्तांतरित कराने का अपराध कराने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पाण्डेय थाना गीडा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 517/2024 धारा 419/420/ 467/468/471/504/506/120 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल कलाम पुत्र मुमताज अली उर्फ मिठाई निवासी हरैया थाना गीडा जनपद गोरखपुर वर्तमान पता रानीडीहा थाना कैंट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा कूटरचित कागजात के माध्यम से वादी के मृतक भाई तथा पिता के अवैध हस्ताक्षर बनाकर पैतृक व बैनामासुदा जमीन को दूसरे के नाम हस्तांतरित करा लिया गया तथा वादी जब खेती करने के लिए उक्त जमीन पर गया तो अभियुक्तों द्वारा एकराय होकर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अब्दुल कलाम पुत्र मुमताज अली उर्फ मिठाई निवासी हरैया थाना गीडा जनपद गोरखपुर वर्तमान पता रानीडीहा थाना कैंट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 517/ 2024 धारा 419/420/ 467/468/471/504/506/120 भा0न्या0सं0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 अश्वनी पाण्डेय थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 कमलेश प्रताप सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 रमेश जोशी थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. का0 राजीव गौड़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर